

कृषि मंत्रालय  
कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग  
(डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय)

संख्या.....79/डॉ०आर०पी०सी०ए०यू०

पूसा

दिनांक

15/9 सितम्बर, 2017

अध्यादेश  
(कमांक 06/2017)

चूंकि भारत सरकार, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने विद्वत् परिषद् की दिनांक 08.07.2017 को समपन्न पहली बैठक की अनुशंसा एवं प्रबंध परिषद की दिनांक 14.07.2017 को हुई दूसरी बैठक में पारित प्रस्ताव के आलोक में ज्ञाप सं० एफ०सं० 5-50/2017/सी०ए०यू० दिनांक 12 सितम्बर, 2017 के द्वारा डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा में विद्यार्थियों के परीक्षक निकाय, परीक्षक एवं मध्यस्थों के नियुक्ति एवं कर्तव्यों का निर्धारण से संबंधित अध्यादेश बनाने की स्वीकृति प्रदान की है।

अतः अब डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 की धारा 28 की उप धारा (1) के उप-बंध (g) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए तथा उपरोक्त वर्णित केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से मैं, डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा का कुलपति प्रथम अध्यादेश जारी करता हूँ तथा यह अधिसूचित करता हूँ कि डा० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा में स्नातक, स्नातकोत्तर एवं डॉक्टरल पाठ्यक्रमों के सेमेस्टर प्रणाली की परीक्षा का संचालन अगली अधिसूचना तक वर्तमान में लागू शैक्षणिक नियमों के अनुसार चलेगा। विस्तृत विवरणी विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर उपलब्ध है।

(आर० सी० श्रीवास्तव)  
कुलपति

ज्ञाप सं०.....438/डॉ०आर०पी०सी०ए०यू०

पूसा

दिनांक

15/9 सितम्बर, 2017

प्रतिलिपि अधिष्ठाता/निदेशक/उप कुलसचिव/नियंत्रक/ महाविद्यालय के अधिष्ठाता/अध्यक्ष/विभागाध्यक्ष, डा० राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कुलसचिव

ज्ञाप सं०.....438/डॉ०आर०पी०सी०ए०यू०

पूसा

दिनांक

15/9 सितम्बर, 2017

प्रतिलिपि उप सचिव (स्थापना)/ उप सचिव, कृषि शोध एवं शिक्षा विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि विभाग, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।

कुलसचिव

ज्ञाप सं०.....438/डॉ०आर०पी०सी०ए०यू०

पूसा

दिनांक

15/9 सितम्बर, 2017

प्रतिलिपि डॉ० एस० के जैन, प्रभारी पदाधिकारी, एरीस सेल को विश्वविद्यालय के वेब साइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

कुलसचिव